**INDIAN PARAMEDICAL ASSOCIATION BHARAT (IPMA)**
*(An Leading Association for all Allied Health Care Professionals)*
Registered under the Societies Act XXI of 1860
Corporate Office : C-77, Sector-2, Goutam Budhh Nagar-201301 (U.P.)
H.O.: SCO No. 5, Shivalik Complex, Near Patiala Light Chowk, Zirakpur, Distt. Sas Nagar, Mohali, Punjab-140603
E-mail : ipmabharat@gmail.com Website : www.ipmabharat.com
Mob.: 9045011980, 9105431980

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

President
Col (Retd.) B.P. Tomar
Vice President
Dr. Surmeet Singh
Secretary
Adv. Priya Rastogi
Treasurer
Gaurav Rastogi
Joint Secretary
Dr. Mamta Saini

**Our Members**
Mr. Abhishek Tripathi
Mr. Rajeev Rastogi
Mr. Anil Kumar
Mr. Manoj Giri
Mr. Suryabhan Giri
Mr. Akash Sharma
Mr. Faizan Ali
Dr. Somnath Borate
Mr. Yogesh Sharma
Mr. Amit Kumar Prajapti
Dr. Anubhav
Dr. Sonu Tyagi
Dr. Ashutosh Garg
Dr. Mithlesh
Dr. Arun Kumar
Dr. Prem
Miss Shalini Sharma
Mrs. Sarojini Verma
Mr. Himanshu Kumar
Dr. Sheetal kour
Mr. John
Mr. Shamsher Khan
Mr. Raju Chhanna
Mrs. Neha Arya
Mrs. Manorma
Mr. Naveen baliyan
Mr. Gaurav malik
Miss Sonam Arya
Mr. Hamid Ansari
Mr. Jagdev Giri
Sardar Diler Singh
Mr. Bhanudev Giri

**Our Overseas Member**
Mr. Deepak Tomar
Mr. Gaurav Gour
Mr. Jagmeet Singh
Mr. Prabhjoot Singh
Mr. Ankit Khanna

*Ref. No. :* 348/2024 *Date :* 15/07/2024

# प्रत्यावेदन

सेवा में

मान‍नीय नरेंद्र मोदी जी

प्रधानमंत्री भारत सरकार

नई दिल्ली।

विषयः— देश के विभिन्न राज्यों में पैरामेडिकल कोर्स के डिप्लोमा प्रमाण पत्र आदि के पाठ्‌यक्रम फर्जी तरीके से संचालित कर बेरोजगार प्रशिक्षुकों व जनता से अवैध धन गुहाई करके जनता के जीवन से खिलवाड कर रहे फर्जी संस्थानों इंस्टीट्यूटो का भौतिक सत्यापन कराकर फर्जीवाडें को रोके जाने व आमजन के भविष्य के साथ खिलवाड करने वाले शातिर अपराधियों को तत्काल दण्डित कर रोके जाने के सम्बन्ध में:—

श्रीमान जी,

कोरोना माहमारी के बाद देश के अधिकतर राज्यों में पैरामेडिकल कोर्स के पाठयक्रम संचालित करने के नाम पर हजारों फर्जी पैरामेडिकल इंस्टीटयूट व परिषदों के द्वारा शिक्षा माफियों ने स्नातक व इण्टर की परिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों व उनके अभिभावको को 50 हजार से 1 लाख मासिक की आमदनी होने के सपने दिखाकर फर्जीवाडें के जाल में देश के करीब एक दर्जन राज्यों में कुकुरमुत्तो

की तरह पैरामेडिकल इंस्टीटयूट व फर्जी परिषदें चलाकर हाई स्कूल व इण्टर कालिज तथा जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग में संचालित किया जाकर 2 से 4 कमरें आवासीय भवन को किराये पर लेकर तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालय में 1 या 2 कमरे किराये पर लेकर माध्यमिक विद्यालयों की दीवारो पर पैरामेडिकल इंस्टीटयूट के बोर्ड लगाकर ठगाई करने का धन्धा किया जा रहा है।

90 प्रतिशत पैरामेडिकल इंस्टीटयूट व परिषदें प्रचार व प्रसार की आड में विगत वर्षो में विभिन्न पाठयक्रमों में फर्जी अंक तालिका सर्टिफिकेट क्षेत्र के प्रतिष्ठित अस्पताल व नर्सिंग होम के संचालको से सांठ गांठ करके फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी कराकर ऐसे विद्यार्थियों का प्रशिक्षित होना बताकर होस्पिटल व नर्सिंग-होमो में बीमार व्यक्तियों के जनजीवन से खिलवाड करने का गोरखधन्धा राष्ट्रीय स्तर फैला रखा है।

ऐस संस्थानो की ओर से 4 हजार से लेकर 20 हजार रूपये की वसूली करके फर्जी अंक तालिका व प्रमाण पत्र छाप कर बांटे जा रहे है। किसी भी इंस्टीटयूट संचालक से सीधे सम्पर्क करके गोपनिय तरीके से जांच करवा कर या ग्राहक भेजकर इसकी पुष्टि करायी जा सकती है। अधिकांश फर्जी पैरामेडिकल इंस्टीटयूट के पास मानक के अनुरूप ना भूमि व भवन है ना स्टाफ व कर्मचारी है और सुरक्षा की दृष्टि से नेशनल बिल्डिंग बोर्ड, अग्नि शमन विभाग की एन0ओ0सी0 आदि के भी कोई प्रमाण पत्र इन फर्जी पैरामेडिकल संस्थानों के पास मौजूद नही है तथा मानक के अनुसार आचार्य, प्रचार्या व शिक्षक मौजूद नही है। सैकडो पीडित व्यक्तियों की ओर से भारत सरकार व राज्य सरकार सम्बन्धित विभाग सहित प्रमुख सचिव आदि के माध्यम से फर्जी संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुहिया कराये जाने वाली जन सुविधाओ में फर्जीवाडा जनता के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के ईलाज के नाम पर फर्जी डिप्लोमाधारी युवाओं से कार्य लेकर जनता के जीवन के साथ जो खिलवाड किया जा रहा है; उसे तत्काल प्रभाव से

कार्यवाही अमल मे लाकर रास्ट्रीय स्तर पर फर्जी पैरामेडिकल इंस्टीटयूट/काउंसिलों के जांच कराकर जनधन की हानि को रोके जाने हेतु पूर्व मे की गई शिकायतों की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए कार्यवाही अमल मे लाने के लिये प्रत्यावेदन अमल मे लाया जा रहा है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है पैरामेडिकल इंस्टीटयूट के नाम पर संचालित इंस्टीटयूटों फर्जी परिषदों की जांच कराकर इनके मूल कागजात व अग्नि शमन विभाग की एन0ओ0सी सेवारत आचार्य, प्रचार्यो शिक्षको की आर्हता से सम्बन्धित बिन्दुओ की जांच कराकर बिना कक्षायें संचालित किये डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र जारी करने वाले फर्जी संस्थानों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लाने के लिये केन्द्र सरकार व राज्य विभागध्यक्षों को निर्देशित करने की कृपा करें।

दिनांकः– 15.07.2024

अध्यक्ष
इंडियन पैरामेडिकल एसोसिएशन

भवदीय
सचिव
इंडियन पैरामेडिकल एसोसिएशन

इण्डियन पैरामेडिकल ऐसोसिएशन

द्वारा सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक
   गंभीर कपट अंवेषण कार्यालय
   द्वितीय तल पंडित दीनदयाल अंतोदय भवन
   सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

2. **सचिव/चेयरमैन**
   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
   बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली 110002
3. **सचिव/सह-सचिव**
   स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
   402 डी निर्माण भवन नई दिल्ली 110011
4. **निदेशक/सचिव/चेयरमैन**
   लोकपाल ऑफिस
   6, वसंत कुंज इंस्टीट्यूटशनल एरिया फेस सेकंड नई दिल्ली 110070

सचिव
इंडियन पैरामेडिकल एसोसिएशन